(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..तक

जिला.............मधुबनी........................संख्या–................ 41........................सन्   2013–14

केश का प्रकार ....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार–गोपाल प्रसाद रेणु   प्रतिपक्षीः–   कृष्ण कुमार नायक वगैरह।

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
15.6.18	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, रहिका से प्राप्त जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख संख्या–3/13–14 में उल्लेखित प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। अंचल अधिकारी ने अपने कार्यालय अभिलेख के आदेशफलक में राजस्व कागजातों के आधार पर भूमि का विवरण निम्न प्रकार दर्ज किया हैः–	CH 19/6/18 CH 25.6.18

सी0एस0खतियान का विवरणः–

मौजा	खाता	खेसरा	किस्म	रकवा	रैयत का नाम
चकदह 33	260	427	भीठ	0–4–2	साधु तुरहा वोल्द बुधु कॉम तुरहा साकिन देहे
	260	428	भीठ	0–4–2	तदैव
	18 (ख)	429	भीठ	0–8–5	मो0कनचनीयॉ जॉ0पांचू कॉम तुरहा
	198	330	धनहर	0–16–10	मौजीद हुसैन वो शंभू हुसैन पे. वाजीद हुसैन कॉम शेख
	.....	1161	भीठ	0–0–9–16	नवीवक्स पे0 भाहु कॉम जोलाहा
	....	4259	मकान मयसहन	0–1–16–64	नमीजउद्दीन पे0 सुलतान अली कॉम सैयद
मधुबनी शहरी क्षेत्र 33	...	4260	भीठ	0–1–4–27	नमीजउद्दीन पे0 सुलतान अली कॉम सैयद
चकदह	309	329/1161	भीठ	0–7–2	नमीजुद्दीन वोल्द सुलतान कॉम सैयद

पंजी–2 का विवरणः–

मौजा	जमाबंदी सं0	खेसरा	रकवा	रैयत का नाम
चकदह 33	5292	427 428 429	0–16–9	श्री कृष्ण कुमार नायक वो राज कुमार नायक वो रामकुमार नायक पे0 लक्ष्मी नायक
"	6229	329 1161	0–4–9–0	तदैव
		4259	0–1–1–0	तदैव
		4260	0–1–4–0	तदैव
		330	0–8–2–8	तदैव
			0–14–15–8	
	3584	...	0–5–10 0–5–10	गोपाल प्रसाद रेणु वो गोबिन्द कुमार विमल कुमार पे0 शम्भू प्र0कुँवर

अंचल अधिकारी, रहिका ने अपने आदेशफलक में वस्तु–स्थिति का उल्लेख करते हुये अंतिम कंडिका में उल्लेख किया है कि प्रोवेट वाद लंबित रहने के बावजूद श्री नायक

(15)

वगैरह द्वारा दाखिल खारिज करवाकर जमाबंदी संख्या–6226 कायम कराया गया

वाद संचालन के कम में अंचल अधिकारी, रहिका ने पत्रांक–664 दिनांक–21.6.14 द्वारा पूरक अभिलेख संख्या–3/13–14 भेजते हुये लिखा है कि पूर्व अभिलेख में लिपीकीय भूलवश सिर्फ जमाबंदी संख्या–6226 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी थी जबकि उक्त जमाबंदी के साथ–साथ जमाबंदी संख्या– 5292 को भी रद्द करने संबंधी अभिलेख भेजा।

आदेशफलक में लिखा कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में कृष्ण कुमार नायक द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या– 2/09–10 कृष्ण कुमार नायक–बनाम– बलवंत नायक दायर किया गया जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा लिखा गया कि दखल कब्जा के आधार पर हकीयत तजबीज करना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। पूर्व में जमाबंदी सुधार वाद संख्या– 02/07–08 में पारित आदेश को बहाल रखते हुये जमाबंदी संख्या–5292 को बरकरार रखा।

दाखिल खारिज वाद संख्या–01/08–09 कृष्ण कुमार नायक–बनाम–बलवंत नायक में मृत व्यक्ति के बंशज का नामान्तरण होना वाजीव बताते हुये स्वीकृति दी गयी। यह भी लिखा गया कि गोपाल प्रसाद रेणु एवं गोबिन्द प्रसाद विमल द्वारा खेसरा संख्या–4588 एवं 330 की जमीन कय की गयी है उस केवाला में **मौजा– सप्ता अंकित है जबकि दोनों खेसरा जमीन मौजा–चकदह की है।**

बलवंत नायक द्वारा दाखिल खारिज रिविजन अपील वाद संख्या–24/2011–12 बलवंत नायक वगैरह –बनाम– कृष्ण नायक वगैरह समाहर्ता महोदय के न्यायालय में चल रहा है।

गोपाल प्रसाद रेणु वगैरह द्वारा दाखिल खारिज रिविजन अपील वाद संख्या–108/12–13 समाहर्ता महोदय के न्यायालय में दायर किया गया है जिसमें मौजा–मधुबनी चकदह खाता नं. 260 खेसरा संख्या–427, 428, 429 पुराना रकवा 0–3–0 (तीन कट्ठा) एवं खाता संख्या–198 खेसरा संख्या–330 रकवा 0–2–0 (दो कट्ठा) तथा खाता संख्या–225 खेसरा संख्या–4588 रकवा 0–0–10 (दसं) धूर कुल 0–5–10 (पॉच कट्ठा दस धूर) अंकित है एवं वर्तमान में गोपाल प्रसाद रेणु वगैरह बनाम कृष्ण कुमार नायक वगैरह चल रहा है।

आवेदक का मुख्य आरोप है कि प्रोवेट वाद संख्या–25/99 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन लंबित रहने के बावजूद श्री नायक वगैरह द्वारा दाखिल खारिज करवाकर जमाबंदी कायम कराया गया जिसे रद्द किया जाय जिसकी अनुशंसा अंचल अधिकारी, रहिका ने भी अपने आदेशफलक में किया है।

वाद की प्रकिया प्रारम्भ करते हुये पक्षकारों को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी गयी।

आवेदक के रूप में गोपाल प्रसाद रेणु एवं गोबिन्द प्रसाद विमल का संयुक्त वकालतनामा के साथ वकालतन पैरवी की गयी।

उक्त वाद में 1– उषा देवी पति स्व0 मुनेश्वर नायक 2–राजेश कुमार नायक पिता स्व0 मुनेश्वर नायक, वार्ड नं. 9 नारियल बाजार, मधुबनी ने वकालतनामा के साथ हस्तक्षेपक के रूप में पक्ष रखा।

बलवंत नायक पिता भरत नायक साकिन–पण्डौल, ने अंतःक्षेपक के रूप में वकालतनामा दाखिल किया किन्तु प्रकिया संचालन के कम में उनके निधन हो जाने के कारण उनके उत्तराधिकारी द्वारा वकालतन पक्ष रखा।

पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का मुख्य अंश है कि:–

1– आवेदकगण के पिता ने निबंधित केवाला के माध्यम से 0–2–10 एवं 0–3–0 कुल 0–5–10 (पॉच कट्ठा दस) धूर जमीन मुनेश्वर नयक पे0 शत्रुघ्न नायक से खरीद किया जिस पर वे दखलकार हुये। उक्त जमीन मुनेश्वर नायक को आपसी बटवारा में हिस्सा में मिला था। उक्त कय की गयी भूमि का दाखिल खारिज कर जमाबंदी संख्या–3584 कायम हुआ जिसका मालगुजारी वर्ष 2011–12 तक अदा किया गया।

2– भूमि सुधार उप समाहर्ता ने दाखिल खारिज अपील वाद में जमाबंदी संख्या–3584 को रद्द करते हुये प्रतिपक्षी के नाम जमाबंदी संख्या–5292 कायम करने का आदेश दे दिया

(19)

जबकि तथाकथित वसियतनामा के आधार पर प्रोवेट वाद केश नं. 25/99 प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मधुबनी के यहाँ लंबित है।

3– भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश के विरूद्ध समाहर्ता मधुबनी के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद में आदेश हुआ कि पुनर्वादी के दाखिल खारिज आवेदन पर ठोस निर्णय लें। फिर भी अंचल अधिकारी ने प्रतिपक्षी के नाम से जमाबंदी संख्या–5292 को कायम रखा।

4– जब आवेदक ने अंचल अधिकारी, रहिका के समक्ष सारा तथ्य रखा तो जमाबंदी संख्या–5292 को तत्काल स्थगित रखा एवं आवेदक के पूर्व जमाबंदी संख्या–3584 को यथावत् बरकरार रखने का आदेश दिया।

5–आवेदकगण ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–23/09–10 के विरूद्ध समाहर्ता मधुबनी के न्यायालय में दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–108/12–13 दाखिल किया जो सुनवाई हेतु लंबित है।

6– आवेदकगण के नाम से नगर परिषद, मधुबनी द्वारा होल्डिंग संख्या–100ए/128 कायम किया गया, जिसका टैक्स भुगतान करते रहे हैं।

7– रिविजनल सर्वे वाद संख्या–144/93 में आवेदकण के नाम से खतियान निर्गत हुआ। अंचल अधिकारी द्वारा अभिधारी खाता पुस्तिका एवं भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र आवेदक के पक्ष में निर्गत है।

8– प्रतिपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी संख्या–5292 वो 6226 को रद्द कर आवेदकगण के पक्ष में कायम जमाबंदी संख्या–3584 का मालगुजारी लेकर रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जाय।

आवेदक ने अपने आवेदन में जमीन का विवरण निम्न प्रकार लिखा है:–

मौजा	थाना नं0	तौजी नं0	खाता	खेसरा	रकवा
चकदह	33	6424	198 पु0 217 नया	330 पु0 216 नया	2 कट्ठा
			225 नया	4588 पु0 129 नया	10 धुर
	~~33~~	6424	260 पु0 18 पु0	427, 428 पु0 429 448 नया	3 कट्ठा

आवेदक ने अपने कथन के समर्थन मे विभिन्न साक्ष्यों की छाया प्रति लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ दाखिल किया। आवेदक द्वारा समर्पित साक्ष्यों में माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दायर प्रोबेट वाद संख्या–25/91 के प्लेंट नकल की छाया प्रति संलग्न किया है तथा लिखा है कि प्रोबेट वाद संख्या–25/99 की प्रति एवं दाखिल खारिज वाद संख्या–02/07–08 में पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रेषित दाखिल खारिज वाद संख्या–02/07–08 में दिनांक–7.6.08 को पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति संलग्न किया है जिसमें लिखा गया है कि प्रोबेट वाद माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी के न्यायालय में प्रोबेट नहीं पास हो जाता है तबतक उक्त वसियतनामा को वैध नहीं माना जा सकता है और उसके आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति उचित नहीं पाते हुये जमाबंदी संख्या–1442, 559 एवं 3584 को यथावत् रखा गया।

विपक्षी ने आवेदक के आवेदन पर प्रत्युत्तर दिया कि आवेदक ने पुनरीक्षण वाद संख्या–108/12 समाहर्ता मधुबनी के न्यायालय में दायर किया है जिसका जिक्र अंचल अधिकारी, रहिका के प्रतिवेदन में भी है। इसलिए इस वाद को समाहर्ता महोदय के न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाय।

वाद संचालन के क्रम में रूकमीनी नायक पति नागेन्द्र प्रसाद निराला 2–अंजनी देवी पति विश्वनाथ राउत पुत्री सीताराम नायक साकिन–मोहल्ला सुरतगंज, वार्ड नं. 17 की ओर से अंतःक्षेपक के रूप में वकालतन पक्ष रखा गया। जिसका विरोध प्रतिपक्षी की ओर

से करते हुये अंतःक्षेपक के आवेदन पर प्रत्युत्तर दिया गया।

आवेदक की ओर से लिखित पक्ष रखा गया कि अंचल अधिकारी, रहिका के पत्रांक–114 दिनांक–29.01.2014 एवं पत्रांक–664 दिनांक–21.06.2014 के आधार पर प्रारम्भ की गयी वाद में जमाबंदी संख्या–3584 को बहाल रखते हुये विपक्षी के नाम से वसियतनामा के आधार पर कायम जमाबंदी संख्या–6226 एवं 5292 को रद्द करने का आदेश दिया जाय। कथन के समर्थन में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ साक्ष्यों की छाया प्रति संलग्न किया।

प्रतिपक्षी द्वारा दाखिल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ अंचल अधिकारी, रहिका के पत्रांक–296 दिनांक–04.03.15 की छाया प्रति संलग्न किया जिसमें अंचल अधिकारी ने वस्तु–स्थिति का उल्लेख करते हुये लिखा है कि वलवंत नायक द्वारा दाखिल खारिज रिभिजन वाद संख्या–24/2011–12 समाहर्ता मधुबनी के न्यायालय में चल रहा है।साथ ही गोपाल प्रसाद रेणु वगैरह द्वारा दाखिल खारिज रिभिजन वाद संख्या–108/12–13 समाहर्ता महोदय के न्यायालय में दायर किया गया जो अभी तक लंबित है। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन है कि सभी कागजातों एवं परिस्थिति पर विचार करने स्थानीय जॉच में प्रश्नगत जमीन पर लक्ष्मी नायक वो उनके लड़का वसीयतनामा धारक के ही दखल कब्जा में है।

प्रतिपक्षी ने आवेदक के आवेदन दिनांक–27.04.14 एवं 20.03.15 के विरोध में प्रत्युत्तर दाखिल किया है जिसमें लिखा है कि हकीयत वाद संख्या–122/96, हकीयत वाद संख्या–67/06, प्रोवेट वाद संख्या–25/99 दाखिल खारिज रिभिजनल वाद संख्या–24/11 एवं 108/12 विचाराधीन लंबित है ऐसे में जमाबंदी रद्द वाद संख्या–41/13 में कैसे निर्णय हो सकता है यानि यह वाद सामानान्तर प्रोसीडींग माना जायेगा।

आवेदक की ओर से समर्पित लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ समर्पित साक्ष्यों में नगर परिषद, मधुबनी द्वारा निर्गत संशोधित आदेश ज्ञापांक–650 दिनांक–20.08.2015 की छाया प्रति संलग्न की गयी जिसमें आवेदकगण के पक्ष में किये गये दाखिल खारिज को जारी रखा गया। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी के निर्गत संख्या–50541–01659 दिनांक– 29.12.2016 की छाया प्रति संलग्न किया गया जिसमें लिखा गया है कि समाहर्ता मधुबनी के न्यायालय में दाखिल खारिज रिविजन अपील वाद संख्या–108/12–13 लंबित है एवं माननीय न्यायालय में भी प्रोवेट वाद लंबित है एवं दुसरी ओर उक्त सभी बातों की जानकारी रहने के बावजूद कर्मचारी द्वारा रसीद निर्गत कर दिया गया। राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध प्रपत्र–क में आरोप पत्र गठित करते हुये अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी ने भी निर्गत संख्या–40511–03136 दिनांक–30.01.2017 द्वारा अनुमंलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश पर सहमति दी गयी तथा दोषी राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई का निदेश दिया गया। आवेदक ने सेवा निवृत राजस्व कर्मचारी श्री बिनोद कुमार मिश्र द्वारा जमाबंदी में हेरा–फेरी करने तथा दायर अपराधिक मुकदमा में जेल जाने के कारण उनके संवीदा नियोजन को तत्काल प्रभाव से रद्द किये जाने संबंधी स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक–735/जि0स्था0दिनांक–12.05.2018 की छाया प्रति भी साक्ष्य के रूप में संलग्ल किया है।

विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी के निर्गत संख्या–50541–02625 दिनांक– 23.6.17 की छाया प्रति प्रस्तुत किया जिसमें अंचल अधिकारी रहिका–सह–लोक प्राधिकार की ओर से प्रस्तुत पक्ष का उल्लेख करते हुये लिखा कि पंजी–2 में न्यायालय उप समाहर्ता, भूमि सुधार सदर मधुबनी द्वारा पारित आदेश के आलोक में परिवादी द्वारा समर्पित जमाबंदी का रकवा शून्य होकर जमाबंदी संख्या–5292, 6226 पर दर्ज हो चुका है। तथ्य को छूपाते हुये शून्य जमाबंदी वाले जमाबंदी का लगान रसीद निर्गत करने तथा पूर्व में लगातार लगान रसीद निर्गत होने वाली जमाबंदी संख्या–5292, 6226 को स्थगित करने हेतु पत्र निर्गत किया गया। इस प्रकार राजस्व

कर्मचारी के विरूद्ध आरोप अप्रमाणित पाते हुये निर्गत अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश को रद्द करते हुये वाद की कार्यवाही को समाप्त की गयी।

सभी पक्षकारों की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत किया जिसका अंश निम्न प्रकार है:–

1– अंतःक्षेपक उषा देवी पति स्व0 मुनेश्वर नायक, राजेश कुमार नायक पिता स्व0 मुनेश्वर नायक, रूकमीनी नायक पति नागेन्द्र प्रसाद निराला एवं अंजनी देवी पति विश्वनाथ राउत की ओर से वकालतन लिखित बहस में तथ्य प्रस्तुत करते हुये अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा प्रेषित अभिलेख के आधार पर प्रतिपक्षी के नाम कायम जमाबंदी संख्या–5292 एवं 6226 को रद्द करने का अनुरोध किया। अपने कथन के समर्थन में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ विभिन्न साक्ष्यों की छाया प्रति संलग्न किया।

2– आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का मुख्य अंश है कि प्रोवेट वाद अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में 25/99 वसियतनामा का विचाराधीन लंबित है इस अवधि में कोई जमाबंदी किसी के नाम से कायम नहीं किया जा सकता। प्रतिपक्षी के नाम जमाबंदी कायम रखने के संबंध में राजस्व कर्मचारी की भूमिका सही नहीं है। शम्भू प्रसाद कुँवर के द्वारा लोक शिकायत निवारण में कर्मचारी के विरूद्ध उक्त राजस्व कर्मचारी जो अनुबंध पर हैं जिनके विरूद्ध कार्रवाई करने का आदेश समाहर्ता, मधुबनी द्वारा पारित किया जा चुका है। सारे तथ्यों को देखते हुये विपक्षी के नाम से कायम गलत जमाबंदी संख्या–5292 एवं 6226 तथा 73 को रद्द करते हुये जमाबंदी संख्या–3584 को कायम रखने का आदेश पारित किया जाय।

3– प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का मुख्य अंश है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष का दखल कब्जा कायम है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में समाहर्ता मधुबनी के न्यायालय में दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद विचाराधीन लंबित है साथ ही हकीयत वाद संख्या–67/2006 सब जज–2 मधुबनी के न्यायालय में विचाराधीन लंबित है। जब उच्च कोर्ट में वाद विचाराधीन लंबित है वैसी स्थिति में इस वाद की प्रकिया खारिज योग्य है।

4– अंतःक्षेपी 1–आशा देवी पति स्व0 बलवंत नायक 2– संतोष कुमार नायक 3– श्रवण कुमार नायक पिता स्व0 बलवंत नायक एवं 4– राज कुमारी पति स्व0 बलवंत नायक की ओर से संयुक्त वकालतन लिखित बहस प्रस्तुत किया गया जिसका मुख्य अंश है कि प्रोवेट वाद 25/99 माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुबनी के न्यायालय में विचाराधीन लंबित है उक्त अवधि में प्रतिपक्षी के नाम कायम जमाबंदी रद्द योग्य है। अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये विपक्षी के नाम गलत ढ़ंग से कायम जमाबंदी को रद्द किया जाय।

अंचल अधिकारी, रहिका से प्राप्त प्रतिवेदन, पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत पक्ष एवं साक्ष्यीय सबूतों का अवलोकन एवं परिसिलन से स्पष्ट है कि सभी पक्षों एवं अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि से संबंधित माननीय सिविल न्यायालय में प्रोबेट वाद संख्या–25/99 विचाराधीन लंबित है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी के दाखिल खारिज वाद में पारित आदेश के विरूद्ध समाहर्ता महोदय के माननीय न्यायालय में दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद विचाराधीन लंबित है।

आवेदक का मुख्य आरोप है कि जमाबंदी संख्या–3584 को बहाल रखते हुये विपक्षी के नाम से वसियतनामा के आधार पर कायम जमाबंदी संख्या–6226 एवं 5292 को रद्द करने का आदेश दिया जाय। वसियतनामा के विरूद्ध जब प्रोबेट वाद माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन लंबित है वैसी स्थिति में इस बिन्दु पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा ।

आवेदक एवं अंतःक्षेपी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद में पारित आदेश के विरूद्ध समाहर्ता महोदय के माननीय न्यायालय में दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है, जो विचाराधीन लंबित है।

चूँकि आवेदकगण के द्वारा ही समाहर्ता महोदय के माननीय न्यायालय में प्रश्नगत भूमि से संबंधित पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है जो उनके कथनानुसार विचाराधीन है वैसी स्थिति में इस न्यायालय में वाद का संचालन आवश्यक नहीं है। जब माननीय सिविल

न्यायालय एवं समाहर्ता महोदय के न्यायालय में प्रश्नगत भूमि से संबंधित पक्षकारों के बीच वाद विचाराधीन लंबित है वैसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित नहीं पाया गया। पक्षकारों को प्रोबेट वाद एवं समाहर्ता महोदय के माननीय न्यायालय में विचाराधीन दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद में निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। इसी ऑबजर्वेशन के साथ इस न्यायालय में संचालित उक्त वाद की प्रकिया को समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रहिका/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी को भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

15/6/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

15/6/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।